सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	माघ 08, मंगलवार, *शाके 1946-* जनवरी 28, 2025 *Magha 08, Tuesday, Saka 1946- January 28, 2025*	

भाग-1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

सार्वजनिक निर्माण विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 10, 2025

संख्या प.7(700)एसएचए/पीपीपी/2021-22/rajkaj290208 :-यतः राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि दूदू-सांभर-भाटीपुरा एस.एच. 02 सड़क परियोजना के लिए भूमि अर्जन हेतु भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 30) की धारा 11(1) अन्तर्गत भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड़ अधिकारी दूदू, जिला जयपुर द्वारा प्रारम्भिक अधिसूचना दिनांक 31.05.2023 जिसका राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 12.07.2023 को किया गया। धारा 11 की अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 12.07.2023 के पश्चात् 12 मास कि अवधि दिनांक 11.07.2024 में अधिनियम 2013 की धारा 19(1) अन्तर्गत सार एवं घोषणा का प्रकाशन नहीं हो पाने से प्रकाशन की अवधि को अधिसूचना दिनांक 26.07.2024 से 6 माह के लिये बढाया गया। बढायी गई 6 माह की अवधि दिनांक 11.01.2025 में भी अधिनियम 2013 की धारा 19(1) अन्तर्गत सार एवं घोषणा का प्रकाशन नहीं हो पाया है।

अतः अब अधिनियम 2013 की धारा 19(7) के द्वितीय परन्तुक की शक्ति का प्रयोग करते हुए भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड़ अधिकारी, दूदू को दूदू-सांभर-भाटीपुरा एस.एच. 02 सड़क परियोजना हेतु उपखण्ड अधिकारी दूदू के क्षेत्राधिकार के भीतर आने वाली भूमि-अर्जन के लिए धारा 19(1) अन्तर्गत सार एवं घोषणा के प्रकाशन की अवधि को 6 माह के लिए आगे की ओर बढ़ाया जाता है। यह अधिसूचना माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, सा.नि.वि. राजस्थान द्वारा ई-फाईल संख्या-11219 के पैरा-141/एन पर प्राप्त स्वीकृति दिनांक 07.01.2025 के अनुसरण में जारी की जा रही है।

राज्यपाल के आदेश से,

आर. के. लूथरा,
संयुक्त सचिव (पथ),
सा.नि.वि. जयपुर।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।